कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्रकूट

संशोधित विज्ञप्ति

पत्रांक सं० 315 /चार/जि०वि०से०प्रा०/चित्रकूट दिनांक- 12-7-2024

इस कार्यालय के पत्रांक-242/चार/जि०वि०से०प्रा०/चित्रकूट/दिनांक 01.06.2024 को जारी विज्ञप्ति के क्रम में संशोधित विज्ञप्ति, मा० उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र संख्या-1538/एसएमए-37A/2010 दिनांकित-06.05.2024 के अनुपालन में ए०डी०आर० केन्द्र व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट में रिक्त तृतीय श्रेणी संविदा के आधार पर दो पद व चतुर्थ श्रेणी पर दो पद, चौकीदार व सफाईकर्मी के 01-01 पद पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 07.06.2024 तक आमंत्रित किये जा रहे है, जिससे सम्बन्धित आर्हता निम्नवत है-

क्र० सं०	पदनाम	पद की प्रकृति	पदों की संख्या	मासिक पारिश्रामिक	शासनादेश दिनांक 31.05.19 द्वारा संशोधित पारिश्रामिक	आयु निर्धारण	आनिवार्य योग्यता
01	तृतीय श्रेणी कर्मचारी (कनिष्ठ लिपिक)	संविदा	02	9000/-	10730/-	01.01.2024 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य	इण्टर मीडिएट उत्तीर्ण, NIELET द्वारा प्रदत्त DOECC या CCC

आवश्यक निर्देश-

1. आवेदक पर आपराधिक इतिहास व अनैतिक आचरण का कोई आरोप नहीं होना चाहिए।
2. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
3. आवेदक जनपद चित्रकूट का मूल निवासी होने चाहिए।
4. आवेदक का एक से अधिक जीवित पति/पत्नी नही होना चाहिए।
5. आवेदक को किसी परीक्षा में बैठने से नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग/न्यायालय द्वारा डिबार न किया गया है।
6. आवेदक को परीक्षा स्थल पर आने-जाने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नही होगा।
7. आवेदन पत्र अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिविल कोर्ट कैम्पस चित्रकूट उ 0 प्र 0-210205 को संबोधित करते हुए दिनांक 07.06.2024 की सायं 5:00 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्रकूट के कार्यालय में जमा करेगा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित किया जा सकते हैं। उक्त तिथि के बाद प्राप्त होने वने अथवा गलत पते पर प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. तृतीय श्रेणी कर्मचारी हेतु चयन शैक्षिक योग्यता एवं टंकण परीक्षा के आधार पर होगा।
9. आवेदक हिन्दी भाषा में 25 शब्द प्रति मिनट (जिसमें समय सीमा 10 मिनट/250 शब्द) अथवा अंग्रेजी भाषा में 30 शब्द प्रति मिनट (जिसमें समय सीमा 10 मिनट/300 शब्द) कम्प्यूटर पर टाईप व आशुलेखन का ज्ञान, को वरीयता दी जायेगी।
10. आउटसोर्सिंग वाले आवेदकों हेतु आवेदक स्वयं के व्यय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्रकूट से 100/- रु के स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त आशय का एक अनुबन्ध निष्पादित करेगा, जिसमें नियुक्त व्यक्ति का आज्ञाकारी, विनम्र व विहित योग्यताधारक होने की जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता को लेनी होगी।
11. आवेदक आवेदन पत्र के साथ एक स्वपतायुक्त लिफाफा पंजीकृत डाक दहेतु निर्धारित डाक टिकट लगाकर प्रस्तुत करें।
12. नियत पारिश्रामिक पर मंहगाई भत्ता या अन्य कोई भत्ता आदि देय नहीं होगा।
13. चयन के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्रकूट का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. नियुक्त कर्मचारी की सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर किसी भी स्तर पर उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
15. आवेदन का प्रारूप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट के नोटिस बोर्ड किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक के मध्य प्राप्त किया जा सकता है अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक बेवसाईट **https://www.allahabadhighcourt.in** तथा जनपद न्यायालय चित्रकूट की बेवसाईट chitrakoot.dcourts.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।
16. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनाक 28.02.2025 तक की अवधि के लिये होगी। कार्यकाल की अवधि सम्यक शासनादेशों के अधीन बढ़ाई जा सकती है।

दिनांक-12.07.2024

12/07/24

अध्यक्ष
विशेष चयन समिति
चित्रकूट

प्रतिलिपिः-

1. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय चित्रकूट को माननीय उच्च न्यायालय व जनपद न्यायालय चित्रकूट की बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
2. दीवानी न्यायालय चित्रकूट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. जिलाधिकारी चित्रकूट को जिला कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
4. जिला सेवा योजन अधिकारी, चित्रकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला बार एसोसिएशन चित्रकूट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. जिला सूचनाधिकारी चित्रकूट को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

अध्यक्ष
विशेष चयन समिति
चित्रकूट